संख्या-51/940/58-2-2014-300(18)/2014

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2014

विषय:-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत ई:पोर्टल की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-/खा0प्र0-1108 /एम0आई0एस0 2014-15, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा ई-पोर्टल के साफ्टवेयर विकास हेतु प्रस्तावित धनराशि कुल रूपये 7,59,554.00 मात्र की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, व्यय किये जाने के निमित्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

Sl.NO.	**Descriptopm of Services**	**Cost (in Rs.)**
(A)	**Required proposed solution to be developing & customize as per our system study**	
1(a)	**Monthly Progress Report**	**2,15,000/-**
(b)	**Beneficiary data**	**2,00,000/-**
(c)	**Online Letter E-mailing System**	**72,000/-**
2	Semi-Dedicated web server with 5GB space and RDBMS resources for running the application effectively (Per annum)	45,000/-
	Sub Total	**5,32,000/-**
	Service Tax @ 12.36%	67,755/-
	Total {A}	**5,97,755/-**
(B)1.	Technical Assistance and Support for one year	1,44,000/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	with one full time manpower @ 12000/- per moonth	
	Service Tax @12.36%	17798/-
	Total {B}	**1,61,798/-**
	GRAND TOTAL	**7,59,554/-**
Cop is in Words (Seven lacs fifty nine thousand five hundred fifty four only)		

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने वाली मदों का पूर्ण विवरण स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण सम्बन्धी प्रस्ताव इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त समिति की संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- ई-पोर्टल की स्थापना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शासन की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक 31-03-2015 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

8- उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा वित्त नियंत्रक उत्तरदायी होंगे।

9- भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- वित्त विभागके कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 एवं शासनादेश संख्या-1518/78IT-2-2002 में निर्दिष्ट बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म- 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पूर्वोनिधानित योजनायें-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन केन्द्रांश (75% राज्यांश 25%) के 42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-51/940(1)/58-2-2014-300(18)2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in